संख्या– 299 / उन्नीस–2-2002-18-2002

प्रेषक,

मधु जोशी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना अनुभाग–२ लखनऊ, दिनाँक: 02 अप्रैल, २००२

विषयः– विभागीय प्रकाशनों के मुद्रण हेतु निजी प्रेसों का पंजीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–338 / सू.एवंजं.सं वि.(प्रकाशन)–14 / 96, दिनांक 21 मार्च,2002 के प्रस्तावानुसार सूचना विभाग के प्रकाशनों को अद्यतन मुद्रण तकनीक के अनुसार मुद्रित कराये जाने हेतु निजी आफसेट प्रेसों को आधुनिक मशीनों एवं अन्य उपकरणों की उपलब्धता तथा कार्य के अनुभव के आधार पर चयनित किये जाने सम्बन्धी पूर्व निर्धारित प्रकिया एवं निर्देश में कतिपय संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है। वर्णित स्थिति में इस विषय में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या–130 / उन्नीस–2 / 1042 / 84, दिनांक 10 मार्च,88 का अतिक्रमण करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के स्थान पर सूचना विभाग के समस्त नियमित एवं यदा–कदा होने वाले प्रकाशनों के मुद्रण हेतु निजी आफसेट प्रेसों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निम्नांकित संशोधित नियमों एवं शर्तों के अधीन पंजीकृत किये जाने हेतु श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1- तुलनात्मक दरों का लाभ विभाग को मिलने के उद्देश्य से प्रदेश के ऐसे निजी प्रेसों को अनुबन्धित किया जाय जो पहले से निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में पंजीकृत हों। चूँकि सूचना विभाग का मुद्रण–कार्य त्वरित प्रकृति का है, इसलिए विशेषकर स्थानीय प्रेसों को अनुबन्धित किया जाना चाहिए।

2- पंजीयन के लिए ऑफसेट प्रेस के स्वामियों से विज्ञापन निकालकर आवेदन माँगे जायेंगे। प्रार्थना–पत्र देने वाले मुद्रणालय को अपने पास उपलब्ध मशीनों एवं उपकरणों आदि का स्पष्ट विवरण तथा उसके स्वामित्व का घोषणा–पत्र देना होगा।

निदेशक, सूचना

3- पंजीकृत प्रेसों की तीन श्रेणियाँ होंगी जो निम्नवत हैं:–

(i) श्रेणी–"क" के अधीन जिन प्रेसों का पंजीकरण किया जायेगा वे स्थायी महत्व के प्रचार साहित्य, नियमित पत्रिकायें, पंचाग, डायरी, एलबम तथा पुस्तकों आदि के मुद्रण का कार्य करेंगे।

(ii) श्रेणी– "ख" के अधीन जिन प्रेसों का पंजीकरण किया जायेगा वे प्रचार पुस्तिकायें, फोल्डर, पोस्टर, ब्रोसर, हैण्डबिल, परिचय–पत्र आदि के मुद्रण का कार्य करेंगे।

(iii) श्रेणी–"ग" के अधीन जिन प्रेसों का पंजीकरण किया जायेगा वे लिफाफे, फार्म, कार्यादेश, शासनादेश आदि के मुद्रण एवं निर्माण का कार्य करेंगे।

4- अनुबन्ध के अन्तर्गत मुद्रणालय से निम्न धनराशि जमानत के रूप में जमा करायी जायेगी–

(i) श्रेणी–"क"– रूपये दस हजार मात्र।

(ii) श्रेणी–"ख"– रूपये बीस हजार मात्र।

(iii) श्रेणी–"ग"– रूपये तीस हजार मात्र।

नोटः– (क) धनराशि विभाग में नगद जमा की जा सकती है।

(ख) धनराशि पोस्ट आफिस/सेविंग बैंक के रूप में जमानत दी जा सकती है।

(ग) धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में भी दी जा सकती हैं। यह जमानत निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम बन्धक होगी।

5- निजी आफसेट प्रेसों को पंजीकृत किये जाने हेतु उनके पास न्यूनतम आवश्यक मशीनों एंवं उपकरणों की उपलब्धता श्रेणियों में वर्गीकरण के आधार पर निम्नानुसार होनी अनिवार्य होगीः–

<u>श्रेणी–"क"</u>

(1) एक फोर कलर मशीन 18"x23" अथवा दो कलर मशीन 23"x36"

(2) एक–एक कलर मशीन 23"x36"

(3) स्टैण्डर्ड प्रोसस कैमरा

(4) कम्पलीट प्लेटमेकिंग इक्विपमेंट

(5) दो पावर आपरेटेड कटिंग मशीन

(6) सेमी आटोमेटिक फोल्डिंग मशीन

(7) वायर स्टचिंग मशीन

(8) लैमिनेशन मशीन

(9) दो डी.टी.पी. कम्पोजिंग टर्मिनल
(10) आटोमेटिक स्युईंग मशीन
(11) पावर जनरेटर
(12) बाईंडिंग सुविधा

श्रेणी–"ख"

(1) एक दो कलर मशीन 18"x23"
(2) दो एक कलर मशीन 18"x23" अथवा एक मशीन 23"x36"
(3) स्टैण्डर्ड प्रोसेस कैमरा
(4) कम्पलीट प्लेटमेकिंग इक्विपमेंट
(5) एक पावर आपरेटेड कटिंग मशीन
(6) वायर स्टचिंग मशीन
(7) सेमी आटोमेटिक फोल्डिंग मशीन
(8) एक डी.टी.पी. कम्पोजिंग टर्मिनल
(9) पावर जनरेटर
(10) बाईंडिंग सुविधा

श्रेणी–"ग"

(1) एक, दो कलर मशीन 18"x23" अथवा एक कलर मशीन 23"x"36
(2) एक एक कलर मशीन 18"x23"
(3) स्टैण्डर्ड प्रोसेस कैमरा
(4) कम्पलीट प्लेटमेकिंग इक्विपमेंट
(5) पावर कटिंग मशीन
(6) डी.टी.पी. कम्पोजिंग
(7) बाईंडिंग सुविधा
(8) पावर जनरेटर

6- किसी भी ऑफसेट प्रेस के आवेदन पत्र का पंजीयन से पूर्व निम्नवत गठित एक समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा।

(i) सचिव, सूचना विभाग– अध्यक्ष
(ii) निदेशक, सूचना विभाग– संयोजक
(iii) निदेशक, उद्योग विभाग, उ०प्र. अथवा उनके प्रतिनिधि– सदस्य
(iv) निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० अथवा उनके प्रतिनिधि– सदस्य
(v) सूचना निदेशालय में उपनिदेशक(प्रकाशन) सदस्य

सभी आवेदकों के प्रेसों का निरीक्षण उपरोक्त समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट उप–समिति द्वारा किया जायेगा और निरीक्षण आख्या समिति को प्रस्तुत की जायेगी। समिति समस्त विवरणों का परीक्षण कर पंजीयन हेतु प्रेसों का चयन करेगी।

7- जो प्रेस उपरोक्त निर्धारित मानकों को पूरा करते हों उन्हें सम्बन्धित श्रेणियों में पंजीकृत किया जायेगा।

8- अपरिहार्य परिस्थितियों में शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करके किसी भी श्रेणी के प्रेस से कोई भी कार्य लिया जा सकेगा।

9- पंजीकृत मुद्रणालयों को कार्य दिये जाने का अन्तिम निर्णय निदेशक अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के विवेकाधीन होगा और कोई मुद्रणालय कार्य पाने का स्वयं हकदार न होगा।

10-. निबन्धन मात्र तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जाये, जो इस शर्त के अधीन हो कि यदि किसी मुद्रणालय का कार्य बीच में संतोषजनक नहीं पाया जाता तो निदेशक को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने से पूर्व मुद्रणालय का पंजीयन निरस्त कर दें और विभाग को हुई हानि की वसूली जमानती धनराशि से कर लें। विवाद की स्थिति में सूचना सचिव का निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होगा। यदि उसके उपरान्त कोई राशि शेष रह जाती है तो उसे फर्म को वापस किया जा सकता है।

11- कार्य अपेक्षित रूप से पूर्ण हो जाने के पश्चात फर्मों द्वारा छपायी का बीजक पूर्ण औपचारिकताओं के साथ प्रस्तुत करने पर शीघ्रातिशीघ्र भुगतान करने का प्रयास किया जायेगा।

भवदीया,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
अनुसचिव

-2-2002-18/2002

... जोशी,
अनु सचिव,
... प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2002

विषय:- विभागीय प्रकाशनों के मुद्रण हेतु निजी प्रेसों का पंजीकरण ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-299/19-2-2002-18/2002 दिनांक 2 मई, 2002 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-4 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

4- अनुबन्ध के अन्तर्गत मुद्रणालय से निम्न धनराशि जमानत के रूप में जमा करायी जायेगी-

(I) श्रेणी- "क"-रूपये दस हजार मात्र ।

(II) श्रेणी-"ख"-रूपये बीस हजार मात्र ।

(III) श्रेणी-"ग"- रूपये तीस हजार मात्र ।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-533/सू0एवं0ज0सं0वि0(प्रका.)-14/96 दिनांक 21 मई 2002 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त पूर्व निर्गत शासनादेश दिनांक 2 मई, 2002 के प्रस्तर-4 के उपर्युक्त अंश को एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित संशोधित करने का मुझे निदेश हुआ है:-

4- अनुबन्ध के अन्तर्गत मुद्रणालय से निम्नधनराशि जमानत के रूप में जमा करायी जायेगी-

(I) श्रेणी-"क"-रूपये तीस हजार मात्र ।

(II) श्रेणी-"ख"-रूपये बीस हजार मात्र ।

(III) श्रेणी-"ग"- रूपये दस हजार मात्र ।

3- शासनादेश संख्या-299/उन्नीस-2-2002-18/2002 दिनांक 2 मई, 2002 इस

तीमा तक संशोधित समझा जाये ।

कृपया शासनादेश दिनांक 2 मई, 2002 के क्रम में किये जा रहे इस संशोधनके परिप्रेक्ष्य में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

मधु जोशी

(मधु जोशी)
अनु सचिव ।